फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

पत्रावली संख्या 25/2024 प्रार्थना पत्र धारा 251 ए

प्रभुलाल बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक	आदेशिका	हस्ताक्षर/सूचना
20.5.24	अधिवक्ता पत्रावली पेश हुई ।अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित है । तहसीलदार कुम्भलगढ से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई ।अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस मे बताया कि प्रार्थी श्री प्रभुलाल भील पुत्र श्री रोडा भील निवासी खरतान तहसील मावली जिला उदयपुर के ग्राम बीड की भागल पटवार हल्का गवार तहसील कुम्भलगढ मे स्थित उनकी खातेदारी भूमि आराजी नंबर 531/471 रकबा 1.0800 हैक्टेयर, व आराजी नंबर 535/471 रकबा 0.9180 हैक्टेयर , आराजी नंबर 533/471 रकबा 1.0800 हैक्टेयर किस्म हकत–2 मे आने–जाने हेतु ग्राम बीड की भागल की बिलानाम भूमि आराजी नंबर 471 व ग्राम कडिया की बिलानाम भूमि आराजी नंबर 145,व 146 से रास्ता दिलाया जावे नियमानुसार सरकारी शुल्क जमा कराने को तैयार है। तहसीलदार कुम्भलगढ की जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त खातेदारी भूमि मे आने–जाने हेतु ग्राम बीड की भागल की बिलानाम भूमि आराजी नंबर 471 रकबा 4.5036 हैक्टेयर किस्म पहाड मे से रकबा 0.1728 हैक्टेयर भूमि एवं ग्राम व पटवार मण्डल कडिया की आराजी नंबर 145 रकबा 13.7484 हैक्टेयर किस्म पहाड मे से रकबा 0.4192 हैक्टेयर व आराजी नंबर 146 रकबा 5.6322 हैक्टेयर किस्म पहाड मे से रकबा 0.3008 हैक्टेयर व आराजी नंबर 1724/145 रकबा 1.0800 हैक्टेयर किस्म मगरी मे से रकबा 0.1080 हैक्टेयर भूमि का रास्ता सबसे निकटतम रास्ता है । रास्ते हेतु उक्त प्रस्तावित भूमि को अंकन किये जाने पर किसी को कोई आपत्ति नही है । अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से सिद्व है कि तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावति रास्ता बिलानाम भूमि से है इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से रास्ता दिया जाना न्यायोचित है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर तहसीलदार कुम्भलगढ के प्रस्तावानुसार ग्राम बीड की भागल की उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी.दर 219991/–रूपये प्रति हैक्टेयर से भूमि की कीमत 38015/–की दुगुनी कीमत 76030/–रूपये व ग्राम कडिया की डी.एल.सी. दर 204932 /– रूप्ये प्रति हैक्टेयर से भूमि की कीमत 169684/–रूपये की दुगुनी कीमत 339368/– रूपये (अर्थात कुल रूपये 41[illegible] मे जमा कराने पर उक्त प्रस्तावित भूमि किस्म रास्ता द[illegible]का आदेश दिया जाता है ।रास्ते की अधिक[illegible]है । जिसका प्रयोग सार्वजनिक होगा । तद्नुसार राजस्व [illegible]लेख मे अंकन एवं अमल दरामद किये जाने हेतु पृथक से आदेश जारी किया जाकर [illegible]की प्रतियो के तहसीलदार कुम्भलगढ को पा[illegible] हेतु भेजी जावे । [illegible] फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।	

उपखण्ड अधिकारी
कुम्भलगढ
जिला–राजसमन्द (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.08.08 16:34:21 IST
Reason: SelfAttested